



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1361/2026/913/22-2-2026-17(429)/2026
लखनऊ: दिनांक: 05 अक्टूबर, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी जीशान उर्फ गुड्डू (बन्दी संख्या-2006/25) पुत्र श्री जुवैर, निवासी 41/09, जूही सफेद कालोनी, थाना-किदवईनगर, कानपुर नगर, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-687, 690, 691/2007 में भा0द0वि0 की धारा-307, 364ए धारा-25/27 आयुध अधि० के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-1, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 08.07.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, बंदी द्वारा दिनांक 16.04.2026 तक बंदी द्वारा अपरिहार 15 वर्ष, 01 माह, 10 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष 09 दिन की भोगी गयी सजा एवं संतोषजनक जेल आचरण को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1361/2026/913(1)/22-2-2026 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
- 3- पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, इटावा।
- 5- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज को क्रिमिनल अपील संख्या-3918/2013 गुड्डे उर्फ जीशान बनाम उ0प्र0 राज्य मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2026 के सन्दर्भ में।
- 6- श्री पंतजलि मिश्रा, अपर शासकीय अधिवक्ता-1, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा **नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।**
- 7- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।